ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 92-94
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

भारत में वृद्धजनों के उन्नयन हेतु प्रयासः एक समाजशास्त्रीय विवेचन

जयप्रकाश यादव

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, (उ.प्र.) भारत

Received- 25.05.2019, Revised- 10.05.2019, Accepted - 15.05.2019 E-mail: apkajay@gmail.com

सारांश : *अभी तक वृद्धावस्था व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या मानी जाती थी, पर विश्व मे वृद्धजनो की सख्या मे हो रही वृद्धि के कारण उनकी देखभाल अब परिवार के साथ–साथ समाज और शासन की भी जिम्मेदारी बनती जा रही है 'ओल्ड इज गोल्ड' पर आज की पीढी विश्वास नही रखती है। इसीलिये सयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा अपनी स्थापना के तीसरे वर्ष ही सन् 1948 मे अर्जेन्टाइना की पहल पर वृद्धावस्था की समस्याओ को अपने एजेन्डे मे शामिल कर लिया गया था। 1972 में सयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक समिति मे इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। 1982 मे आस्ट्रिया की राजधानी विएना मे ''वर्ल्ड असेम्बली आन एजिग'' के नाम से वृद्धावस्था के बारे मे एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमे विश्व के 124 देशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया। इसके बाद उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने वृद्धावस्था के बारे मे अन्तराष्ट्रीय कार्य योजना को मजूरी दी जिसे विएना कार्य योजना के नाम से जाना जाता है। सयुक्त राष्ट्र सघ विभिन्न देशो को समय–समय परवृद्धजनो के लिये नीति बनाकर तदनुसार कार्यक्रम चलाने के लिये उत्साहित करता रहा है। पिछली शताब्दी का अंतिम वर्ष 1999 ई. को वृद्ध लोगो का अन्तराष्ट्रीय वर्ष के रुप मे मनाया गया था। भारत सरकार ने भी वर्ष 2000 को राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रुप मे मनाया। सयुक्त राष्ट्र ने जिनेवा मे अपने एक प्रस्ताव द्वारा 1 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रुप मे स्वीकार किया। 1 अक्टूबर 1991 को सबसे पहले विश्व स्तर पर वृद्ध दिवस के रुप मे मनाया गया।*

कुंजी शब्द – वृद्धावस्था, अन्तर्राष्ट्रीय, शताब्दी, विस्तार, प्रतिनिधियों, समस्याओं, शामिल, वृद्धजनों।

वर्ष 1991 मे सयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा मे बुजुर्गो को ध्यान मे रखते हुए निम्न प्रस्ताव पारित किये गये–

1– बुजुर्गो के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा एव सामाजिक सुरक्षा।

2–परिवार मे बुजुर्गो के लिये पर्याप्त भोजन, आवास, मनोरंजन व रखरखाव की सुविधा।

3–आर्थिक स्वतन्त्रता को ध्यान मे रखते हुए रोजगार के अवसर।

4–आदरपूर्वक जीवन जीने का अधिकार।

5– आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक,सास्कृतिक आदि सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति।

वृद्धजनो के कल्याण के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मन्त्रालय नीतिया एव योजनायें तैयार करता है। इसी मन्त्रालय के प्रयासो से जनवरी 1999 मे ही वृद्धजनो के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई गई जिससे वृद्ध व्यक्तियो की आवश्यकताओ का सर्वागीण जायजा लिया गया। इस नीति ने राज्य और नागरिक संस्थाओ से आग्रह किया है कि वे वृद्ध व्यक्तियो की आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य–रक्षा, आश्रय आदि की समस्याओ को सुलझाने मे सहायता करे,उनका शोषण और उनके प्रति दुर्व्यवहार न होने दे, और उन्हे सक्षम बनाये रखे।

इस नीति के कुछ मुख्य विन्दु ये हैः–

1–राज्य सरकार,स्वयसेवी सस्थाओ,और निजी क्षेत्र के बीच सहकार बढाना।

2– वृद्धावस्था मे आर्थिक सुरक्षा देना।

3– वृद्ध व्यक्तियो को मानव संसाधनो का स्रोत मानना।

4–समस्त वृद्धजनो को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाये उपलब्ध कराना।

5–उन्हे सरक्षण, सुरक्षा और उन्हे कानूनी अधिकार दिलाना।

6– वृद्धजन के कार्यक्रमो मे लिग भेद न होने देना।

वृद्धो के बारे मे बनायी गयी राष्ट्रीय नीति के प्रावधानो के कार्यान्वयन हेतु मई, 1999 मे 'राष्ट्रीय वृद्ध परिषद' की स्थापना की गयी और इस परिषद को 1999 की राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। परिषद वृद्धो की शिकायतो व तकलीफो की सुनवाई करती है और उनके सुझावो पर भी ध्यान देती है।

सन् 1999 मे ही भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना बनाई जिसे 'ओल्ड एज सोशल एण्ड इन्कम सिक्यूरिटी' कहा गया जिसका मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रो मे रिटायरमेन्ट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था जहा इसका प्रावधान नही है।

वृद्धजनो की देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सबसे अच्छी पहल ''माता–पिता और

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम–2007'' को प्रभावी बनाकर की गई है। इसके तहत किसी भी वरिष्ठ नागरिक की सम्पत्ति का उपभोग करने के बावजूद उनकी देख–भाल नही करने अथवा प्रताड़ित करनें वाले परिजनों के खिलाफ तहसील स्तरीय अधिकरण मे प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ऐसे मामले में पीड़ित को न्याय दिलाया जायेगा। इस अधिनियम में जहां लाभार्थियों के लिये वृद्धाश्रम की स्थापना तथा अस्पतालों में वृद्ध नागरिकों के लिये अलग से सुविधायें प्रदान करनें का प्रावधान है,वही ऐसे माता–पिता जो अपनी आय या सम्पत्ति से अपना खर्च उठानें में असमर्थ हैं, वे अपने वयस्क बच्चों से अपने रख–रखाव के लिये आवेदन कर सकते हैं, इस रख–रखाव में उचित भोजन,आवास,कपड़े एवं चिकित्सीय खर्चे शामिल हैं। इसी तरह ऐसे वृद्धजन जिनके अपने बच्चे नहीं हैं अपने उन सम्बन्धियों से जो वृद्धो की सम्पत्ति के वारिश हैं,से भरण–पोषण भत्ते की मांग के अधिकारी हैं। इसमें जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिले में एक आपीलीय ट्रिब्यूनल गठित करनें का प्रावधान है, वही दोषी व्यक्ति को 3 माह की कैद या 5000 जुर्माना या दोनों सजायें एक साथ भुगतनी पड़ सकती है। वृद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित करनें के उद्देश्य से उन्हे घरेलू हिंसा अधिनियम के दायरे में लाया गया है। सीआरपीसी की धारा–125 में माता–पिता के भरण–पोषण का प्रावधान है। इस धारा के अन्तर्गत पूर्व में 500 रुपये प्रतिमाह तक के भरण–पोषण की व्यवस्था थी जिसे संशोधित कर भरण–पोषण की मासिक धनराशि तय करनें का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार एवं भरण–पोषण अधिनियम –1956 के अन्तर्गत पुत्र और पुत्रियों को अपनें वृद्ध माता–पिता को उनके भरण–पोषण के लिए मासिक आधार पर धन देना होगा। इसमें धनराशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। हिमाचल प्रदेश व्द्धों के प्रति सन्तान के दायित्वों को कानूनी रुप देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में यह कानून वर्ष 2001 से ही लागू है। इसके अन्तर्गत मां–बाप की सेवा न करनें वाली सन्तानों को संपत्ति से बेदखल करनें, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां न देनें या सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटकर उनके वृद्ध आश्रितों को देने का प्रावधान किया गया है।

भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों जिनमें वृद्ध भी हैं को जीवन जीने की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की और समानता का मूल अधिकार प्रदान किया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व । अनुच्छेद–41 । के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए वृद्धजनों हेतु सरकारी सहायता का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी हैं जो राज्य को निर्देशित करते हैं कि वह अपनें नागरिकों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाएगा। हमारे संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसके प्रावधान वृद्धों के लिए भी प्रभावी हैं और सामाजिक सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं केन्द्र सरकार पर समान रुप से हैं।

बढ़ती उम्र का बुजुर्गों पर क्या असर होता है इसे व्यवस्थित रुप से समझने के लिए भारत ने दुनियां का ऐसा सबसे बड़ा सर्वेक्षण शुरु कर दिया है। इसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के 60 हजार लोगों का 25 साल तक लगातार अध्ययन किया जायेगा। इसके पहले चरण के शुरुआती आंकड़े लगभग डेढ़ साल में प्राप्त हो जायेंगे। सरकार चाहती है कि इसका उपयोग 'राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्वास्थ्य कार्यक्रम' को मजबूत करनें के लिए किया जाये। देश में हो रहे ऐसे पहले और दुनियां के सबसे बड़े अध्ययन के तहत ना सिर्फ बुजुर्गों की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति का पता चलेगा बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली जायेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं इस सर्वे की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके लिए सर्वे में शामिल किये गये 60 हजार लोगों से लगातार सम्पर्क में रहना होगा।

अप्रैल,2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस के नये मुखिया सुलखान सिंह ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों , अकेले रह रहे बुजुर्गों की सम्पत्ति पर नजर लगाये माफिया, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिये हैं। जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सूची बनानें को कहा है। विशेष तौर पर ऐसे नागरिक जो घरों में किन्हीं कारणों से अकेले रह रहे हैं। निर्देश दिया है कि थानें का एक आरक्षी, सामाजिक कार्यकर्ता माह में एक बार और आकस्मिक परिस्थितियों में कभी भी उन बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे। डीजीपी के आदेशानुसार थाना स्तर पर एक कमेटी बनाई जायेगी। कमेटी में थाना क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी होंगे। कमेटी प्रत्येक माह बैठक करेगी और बुजुर्गों की समस्याओं का समाधान करेगी। प्रत्येक थाना वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे अपराध के बाबत अलग से एक रजिस्टर तैयार करेगा, वरिष्ठ नागरिकों के साथ होनें वाली मासिक बैठक, अपराध के बाबत जिले के आला पुलिस अधिकारी प्रत्येक माह डीजीपी मुख्यालय अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। 'बुजुर्गों की सम्पत्ति व सुरक्षा पर अब पुलिस की नजर'–दैनिक जागरण, वाराणसी, 27 अप्रैल, 2017, पृ.5।

गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करनें वाले देश के करोड़ो वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्र सरकार नें 1

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-10, No.-I, Issues-11 YEAR- June -2019

अप्रैल,2017 को ''राष्ट्रीय वयो श्री योजना'' का श्शुभारम्भ आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में किया। यह एक केन्द्रीय योजना है। योजना के कार्यान्वयन के लिये अनुदान 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष' से मिलेगा। इसका उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर, उम्रदराज लोगों को सक्रिय जीवन में वापस लाना है। इसके तहत चलनें की छड़ी, वैसाखी, तिपाई, सुननें की मशीन, ह्वील चेयर, कृत्रिम दांत, जबड़ा तथा चश्मा जैसे उपकरण मुहैया कराये जायेंगे। सरकार का उद्देश्य हर शिविर में दो हजार बुजुर्गों को उपकरण वितरित करना है। इस योजना का लाभ लेनें वालों की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, साथ ही उनका बी. पी.एल. श्रेणी में होना भी अनिवार्य है।

वृद्धजनों के लिए चलाया जा रहा ''समन्वित कार्यक्रम'' एक समग्र कार्यक्रम है, जिसके तहत वृद्धों की जरुरतों को पूरा करनें,भोजन, स्वास्थ्य देख–रेख, आश्रय, सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करनें, वृद्धावस्था के सन्दर्भ में अनुसंधान एवं जागरुकता निर्माण के उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बच्चों व युवाओं एवं वृद्धजनों के मध्य अच्छे अंतर–पीढ़ी संबन्धों को विकसित करनें की दिशा में भी ध्यान दिया गया है।

आयकर विभाग द्वारा किसी सामान्य करदाता की तुलना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में विशेष छूट तथा अन्य प्रावधान किये गये हैं। बैंकिंग एवं डाकघर के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बचतों पर अधिक ब्याज दिया जाता है तथा कम बैंकिंग शुल्क की व्यवस्था है। बुजुर्गों के लिए सभी वित्तीय संस्थाओं में अलग से पंक्ति की व्यवस्था करनें अथवा तुरन्त निपटान करनें के निर्देश दिये गए है। केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय अपनें सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों को मुफत चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। वरिष्ठ नागरिकों का इलाज करानें वाले व्यक्ति को अधिकतम 60 हजार रुपये की छूट आयकर विभाग द्वारा दी जाती है। आयकर विभाग की नियमावली में उन रोगों का विवरण है जिसमें यह छूट प्राप्त है। कैंसर, एड्स, पार्किसन्स जैसे रोग इस सूची में शामिल हैं।

रेल यात्रा में सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा किराये में छूट है। एअर इंडिया तथा घरेलू विमानों पर 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों एवं 63 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को किराये में छूट प्रदान की जाती है। अन्य विमान सेवाओं द्वारा भी इसी तरह की छूटें प्रावधानित हैं। सड़क यातायात में विभिन्न राज्य परिवहन निगमों में आरक्षण एवं छूट हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के जीवन–यापन करनें वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिमाह 200 रुपये की पेंशन दी जाती है। ज्यादातर राज्य सरकारें ऐसी योजनाओं के तहत 200 से 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन देती हैं, जो आज के युग में पर्याप्त नहीं है। गोवा आय संबन्धी किसी प्रतिबन्ध के बिना सभी वरिष्ठ नागरिकों को 2000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देता है। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वृद्धजनों को प्रतिमाह 10 किग्रा खाद्यान उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में इस योजना में वही वृद्धजन शामिल थे जिन्हें पेंशन नहीं मिलती थी किन्तु वर्तमान में इसके अन्तर्गत सभी वृद्धजनों को यह लाभ दिया जा रहा हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुरु की गयी है। इसमें कोई भी वृद्ध व्यक्ति एक निश्चित धनराशि जमा करके प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकता है।

वृद्धों की बढ़ती संख्या,बदलती हुई पारिवारिक संरचना वृद्धजनों के जीवन को नई–नई कठिनाईयों से युक्त करता जा रहा है। यह सच है कि कोई भी सरकारी प्रयास तभी सार्थक होता है जब उसमें जनसाधारण की पर्याप्त भागीदारी होती है। अतः हमें इस बात को ध्यान में रखकर बुजुर्गों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए ताकि उनके सम्मान बोध को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे। हमारा यह नैतिक व सामाजिक दायित्व बनता है कि हम बुजुर्गों की गरिमा का पूरा–पूरा ध्यान दे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. यादव सुरंगमा, अर्णव ।शोध–पत्र संकलन।, 2012,पृ. 32–33
2. परीक्षा संभावित निबन्ध संग्रह,मंथन प्रकाशन इलाहाबाद, 2010–11,पृ.144
3. अटल योगेश, 'भारतीय समाज–नैरन्तर्य और परिवर्तन' ।2016। पियर्सन इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, पृ.38
4. परीक्षा मंथन 'निबन्ध मंथन' मंथन प्रकाशन इलाहाबाद, 2016–17,पृ.128–130
5. राजस्थान पत्रिका,जोधपुर,2 जुलाई,1995
6. राष्ट्रीय वृद्धजन नीति–विकासपीडिया
7. कांस्टीट्यूशन प्राविजन–ओल्डएज सोल्यूशन,
8. दैनिक जागरण वाराणसी, 16 दिसम्बर, 2016,पृ. 17
9. दैनिक जागरण वाराणसी, 27 अप्रैल, 2017,पृ. 5
10. डब्लू डब्लू डब्लू. एस एस जी सी पी.काम.
11. दैनिक जागरण वाराणसी, 20 मार्च, 2017,पृ. 3
12. दैनिक जागरण वाराणसी, 25 मार्च, 2017,पृ. 12

*****